प्रस्तावना

(Introduction)

श्रेष्ठ प्रशासन की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 15 जून, 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को स्वीकृति प्रदान की गयी. इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्राविधान तत्काल लागू हो गये. अधिनियम की धारा 4, उपधारा 1 बी के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गयी है कि अधिनियम के लागू होने के 120 दिन के भीतर 17 बिन्दुओं पर अपना विस्तृत विवरण सूचना मैनुवल के रूप में प्रकाशित करेंगे तथा प्रतिवर्ष इस मैनुवल में दी गयी सूचना में आवश्यक संशोधन करेंगे.

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी उत्तराखण्ड राज्य में क्षमता विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण, शोध, परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला प्रदेश का शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है और सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक लोक प्राधिकरण भी है. अधिनियम के उक्त प्राविधान के अनुपालन में अकादमी द्वारा इस सूचना मैनुवल का निर्माण किया गया है.

इस सूचना मैनुवल का उद्देश्य उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल के संगठन, उद्देश्यों, कार्यों, कार्य प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं, सुविधाओं, सेवाओं, वित्तीय व्यवस्था आदि के संबध में अधिकतम सूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि नागरिकों को इस संगठन के अस्तित्व और योगदान के संबध में आकलन करने व इसकी गतिविधियों में योगदान करने का अवसर प्राप्त हो सके. इस प्रकार यह सूचना मैनुवल क्षमता विकास प्राप्त करने वाले संगठनों, विभागों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा और वह अकादमी की सेवाओं और सुविधाओं का बेहतर लाभ ले सकेगें. अकादमी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की दृष्टि से यह विशेष रूप से उपयोगी होगा.

इस सूचना मैनुवल में 17 मैनुअल सम्मिलित हैं जिनका सूत्र सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 उपधारा 1 बी में वर्णित बिन्दुओं में विद्यमान है. प्रत्येक मैनुअलस्वयं में विशिष्ट है तथा इनमें दी गयी सूचना भी विषय के अनुरूप है. तथापि कुछ अध्यायों में विषय वस्तु की पुनरावृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है. वस्तुतः यह विभिन्न अध्यायों की विषय वस्तु की निरन्तरता को प्रदर्शित करता है. सूचना मैनुवल में दी गयी सूचना का काफी बड़ा भाग इस अकादमी की गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली के अनुभव के आधार पर विकसित किया गया है और इस दृष्टि से यह परम्परागत जानकारी से पृथक सृजनात्मक भी है.

विशिष्ट संगठन होने के कारण सूचना मैनुवल में सामान्य प्रशासनिक व कार्यालय संबधी शब्दावली व भाषा के साथ–साथ प्रशिक्षण से संबधित शब्दावली और भाषा का प्रयोग किया गया है. तथापि यह प्रयास किया गया है कि भाषा सरल समझने योग्य व मैनुवल का उपयोग करने वाले संगठनों, व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक हो. फिर भी आवश्यकता पडने पर अकादमी के संकाय से स्पष्टीकरण लिया जा सकता है.

धारा–4(1);b)(ii)

सूचना मैनुवल में समायोजित विषयों एवं अन्य जानकारियों के लिए अकादमी में स्थापित सूचना अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ, संकाय अधिकारियों, पुस्तकालय एवं विभिन्न पटलों पर कार्य करने वाले कार्मिकों से संपर्क किया जा सकता है. इस सूचना मैनुवल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त अन्य सूचना उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है. इस संबध में अकादमी के लोक सूचना अधिकारी, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ व पुस्तकालय से संपर्क किया जा सकता है.